न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–270/2018
अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा बनाम जय प्रकाश

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
22.01.2019	**आदेश**	

उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रस्तुत उत्पाद वाद अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा के पत्रांक–1518/उ0, दिनांक–15.11.2018 से प्राप्त उत्पाद वाद सं0–908/18 में उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत अवैध शराब के चौर्य व्यापार एवं परिवहन में संलिप्त पाये जाने के कारण जब्त मोटर साईकिल पंजीयन सं0–**BR06BR-9625 (TVS)** के राज्यसात हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में वाहन स्वामी को कारण–पृच्छा हेतु सूचना निर्गत की गयी। उक्त के आलोक में विपक्षी वाहन स्वामी का प्रत्युत्तर प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि गुप्त सूचना के आधार पर सशस्त्र बल के साथ, भड़ौल चौक के पास वाहन सं0–**BR06BR-9625** से दो व्यक्ति शोभन से भरौल की ओर तेजी से भाग रहा था, जिसे पीछाकर भरौल चौक पर रोका गया। उपस्थित स्वतंत्र साक्षी के समक्ष विधिवत् तलाशी पर गाड़ी के बीच में तथा एक बैग और एक झोला में (1) Royal Stag व्हिस्की ***750ml*** का 12 पीस (2) Royal Stag व्हिस्की ***375ml*** का 39 पीस (3) Royal Stag व्हिस्की ***180ml*** का 144 पीस For sale in Haryana अंकित अवैध शराब बरामद किया गया। इस प्रकार कुल **49.545** लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया। जिसे विधिवत् जब्त करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। चूँकि बिहार राज्य में पूर्णतः शराब बन्दी है। अवैध शराब का सेवन, परिवहन एवं चौर्य व्यापार दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये।

विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी वाहन स्वामी उक्त वाद में अभियुक्त नहीं हैं। उनके बिना जानकारी में दिये उनके पिता के द्वारा वाहन का उपयोग किया गया और उक्त वाद में गिरफ्तार हुए। विपक्षी वाहन स्वामी उक्त उत्पाद वाद में संलिप्त नहीं हैं। Undertaking के संबंध में जो भी आवश्यकता होगी विपक्षी वाहन स्वामी देने को तैयार हैं। साथ ही न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर प्रतिभूति आदि देने को तैयार हैं। अतः वाहन विमुक्त करने की कृपा की जाय।

उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि जब्त वाहन से अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन किया जा रहा था, जिसे छापामारी कर विधिवत् जब्त किया गया है। विपक्षी का यह कहना कि बिना उसके

जानकारी के उक्त जब्त वाहन का उपयोग किया गया, जबकि गिरफ्तार अभियुक्त उनके पिता हैं। इसलिए विपक्षी वाहन स्वामी का यह कथन अप्रासंगिक है। विपक्षी वाहन स्वामी द्वारा अपने प्रत्युत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये।

अतएव बिहार उत्पाद अधिनियम (यथा–संशोधित) 2016 की धारा 58 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा के उत्पाद वाद सं0–908/18 में जब्त मोटर साईकिल नं0– **BR06BR-9625 (TVS)** को राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा को अनुपालनार्थ भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

22.6.19

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा